संख्या–1911/26–2–2012–एस0एन0डी0(826)/12

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 20 नवम्बर, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत नई मांगों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत की गयी आय–व्ययक व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–62/स0क0/रा0ल0बा0पें0यो0/बजट/2012–13, दिनांक 22.10.2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1325/26–2–2012–एस0एन0डी0(826)/12, दिनांक 28.08.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत किये गये बजट प्राविधान रू0 46279.52 लाख के सापेक्ष द्वितीय छमाही के लिये अवशेष धनराशि रू0 23139.76 लाख (रूपया दो अरब इकतीस करोड़ उनतालिस लाख छिहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप द्वितीय छः माह के लिए किया जायेगा।

2. धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी योजना/मद पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजना/मद पर पुर्नविनियोजित/व्यय नही किया जायेगा।**

2. उपर्युक्त योजना में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—आयोजनागत—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—102—समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन—04—रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना—20—सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—3—1287/दस—2012, दिनांक 12 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या—1911(1)/26—2—2011—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग—1/2 एवं नियोजन अनुभाग—3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनु सचिव